	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोनः 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar	

क्र.स.सीएसएफ/2-65/Vol-II/कृषि/2020/ दिनाँकः

निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में **खरीफ** 2020 में बोई गई **कपास की फसल चुनाई हेतु मुहरबन्द** निविदाएं दिनांक 03.09.2020 को अपरान्ह 1.00 बजे तक आंमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 2.30 बजे खोली जायेगी । निविदाएं देने से पहले रूपये 10,000.00 (दस हजार) मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। ठेकेदार को पेन नम्बर,वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है। अन्य नियम व शर्ते रूपये 118/- का डीडी जमा करा कर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। अन्य नियम व शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

प्रबन्धक (उ.)
कृते निदेशक

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

कपास चुनाई के लिए निविदा दर

क्रं0 सं0	ब्लॉक नं0	कपास चुनाई का एरिया एकड़ में	दर प्रति एकड़ सभी प्रकार के कर सहित (रूपयें में)
1.	खण्ड नं0 – एक	46.0	
2	खण्ड नं0 – दो	25.0	

हस्ताक्षर ....
नाम व पता...
....
....
मोबाईल नं0 ....

<u>केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)</u>
<u>कपास की चुनाई कार्य की नियम व शर्ते</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 10000/- प्रत्येक चक के हिसाब से डी.डी. (जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो) जो कि **<u>राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ के नाम सूरतगढ देय हो, जमा कराना होगा।</u>** सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर व **<u>अंतिम निपटान पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।</u>** निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थाई पता देना होगा।
2. कपास की चुनाई का कार्य 2 बार तो करना ही होगा और आवश्यकता होनें पर 3 बार भी फार्म के निर्देशानुसार किया जायेगा।
3. चुनाई का कार्य फार्म के कर्मचारियों (हेडगार्ड,चक ईन्चार्ज,लेबर) की उपस्थिति में करना होगा। लेबरों को भुगतान के उदेशय से ठेकेदार द्वारा फार्म कर्मचारियों की उपस्थिति में कपास की तुलाई शाम को चक पर ही की जायेगी।
4. कपास की तुलाई का कार्य विनोइंग सेंट्रर (कृषि संबंधित खण्ड़) में प्रतिदिन सांय काल को होगा। विनोइंग सेंट्रर पर किया गया तौल ही अतिंम माना जायेगा व इसके आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
5. कपास को फिल्ड से विनोइंग सेंट्रर में लाने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली फार्म द्वारा देय होगी।
6. चुनाई के लिए पोटली फार्म द्वारा दी जायेगी।
7. चुनाई पूर्ण हो जाने के बाद जो बॉल (टिण्डे) बचेगें वो ठेकेदार के द्वारा तुडवाई करवाकर विनोइंग सेंट्रर पर लाना होगा फिर ठेकेदार के द्वारा चुनाई करवाई जायेगी। शाम को चुगाई के बाद ठेकेदार चुनाई किये गये मुरब्बे में घुमकर देखना होगा कि चुनाई की गई कपास मुरब्बें छुटी तो नही है। अगर कपास की चुनाई के समय ठेकेदार या लेबर चोरी या नुकसान करतें हुए पाये जाते है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
8. कपास की चुनाई का बिल हर 15 वें दिन बाद ही बनाया जायेगा। ठेकेदार को भुगतान सरकार के द्वारा तय किये टैक्स की कटौती और कार्य संतोषजनक होनें के बाद किया जायेगा।
9. कपास की चुनाई का कार्य सफाई से करना होगा। कपास की सिकरी (खिला हुआ टिन्डा) में कपास का फाबा (रेशा) नही रहना चाहिये। यदि चुनाई में सफाई नही हुई कचरा पाया जाता है तो उसका बिल नही बनाया जायेगा।
10. कपास की चुनाई का कार्य **<u>प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00</u>** बजे तक ही करना होगा। ठेकेदार की लेबर शाम को कपास के मुरब्बे में से घास नही काटेगी।
11. जब तक कपास में चुनाई का कार्य चलेगा ठेकेदार की लेबर कपास से घास नही काटेगी, अगर घास काटती हुई पाई जाती है तो सम्बधिंत ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार चुनाई वाली लेबर को संख्या ज्यादा रखेगा ताकि पूरे मुरब्बे में की चुगाई 2-3 दिन में करनी होगी।
12. कपास की चुनाई का कार्य अगली फसल की बिजाई से पहले समय पर करना होगा।

13. कपास की चुनाई का कार्य यदि ठेकेदार समय पर नही करवा पाता है तो इस स्थिति में फार्म अपने स्तर पर चुनाई का कार्य किसी और ठेकेदार से करवा सकता है तथा उसका पूरा भुगतान ठेकेदार के बिल तथा धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।

14. फिल्ड से कपास की लोड़िगं व अनलोड़िगं का कार्य भी ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

15. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

16. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा ।

17. यदि कपास चुनाई के कार्य में ठेकेदार या उसकी लेबर के कारण फार्म को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार से की जायेगी।

18. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह-प्रबन्ध-निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निपटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिऐशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

19. आर्बिटेशन एवं कोन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायक्षेत्राधिकार सूरतगढ होगा।

प्रबंधक(उ.)